महत्वपूर्ण एवं खास

दहेज प्रताड़नाः पति, सास-ससूर एवं बड़ा ससूर के खिलाप जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदिका श्रीमती प्रतिमा रात्रे पति लक्ष्मी प्रसाद रात्रे उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना पुसौर के शिकायत आवेदन पत्र पर उसके पति लक्ष्मी प्रसाद रात्रे, सास सम्मे बाई , ससुर ईश्वर प्रसाद रात्रे, बड़ा ससुर फिरतु रात्रे के विरूद्ध थाना पुसौर में अप.क्र. 128/19 धारा 498-(ए) आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवेदिका ने बताया कि दिनांक 20.02.2018 को विवाह होकर ग्राम सूपा के लक्ष्मी प्रसाद रात्रे के घर आयी हूं। विवाह के लगभग एक वर्ष तक ससुराल वालो का व्यवहार मेरे साथ सही था एक पुत्र भी सात माह का हैं बच्चा होने के बाद से ससुराल वालों द्वारा दहेज में स्कूटी, मोटर साईकिल की मांग करते हुए मांग पूरी नही करने से गाली गलौज, मारपीट करने लगे दिनांक 30.07.19 को सभी मिलकर एक राय होकर गाली गलौज कर लात घुसे से मारपीट करने लगे तो मोहल्ले के लोग बीच बचाव किये। आवेदिका के शिकायत आवेदन पर दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सड़क किनारे से 14 चक्का ट्रेलर का ट्राला चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। ट्रासपोर्टर मुस्ताक अंसारी उम्र 30 वर्ष निवासी दिनदयाल कालोनी, रायगढ़ दिनांक 02.08.19 को थाना कोतवाली में अपने 14 चक्का ट्रेलर वाहन सीजी 10 सी 2590 की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया है, रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दिनांक 27/07/19 को उर्दना तिराहा के पास इंजन में कुछ काम करवाना था इसलिए, ट्राला को सड़क किनारे रंजीत गैरेज के पास खड़ी करके इंजन को समीम मिस्त्री के पास ले गया था। इंजन के केबिन में डेन्टींग का काम चल रहा था। दिनांक 30/07/2019 को सुबह लगभग 07/00 बजे ट्राला को लेने गया तो वहा नही था रंजित मिस्त्री वगैरह से पुछताछ किया तो पता नही चला , ट्राला का लगातार तलाश कर रहा था ट्राला का चेचिस नम्बर बीडीएम 8007160 है, जिसकी वर्तमान में कीमत लगभग 10,00,000/- रूपये होगी। चोरी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 579/19 धारा 379 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

खरसिया पुलिस के हाथ आया एक अपचारी बालक सहित 5 चोर

- » आरोपियों से पूछताछ में हुई थाना क्षेत्र के चार चोरियों का खुलासा
- » आरोपियों ने घरघोड़ा क्षेत्र में भी चोरी करना कबूला
- » आरोपियों से करीब एक लाख रूपये से अधिक के सामान बरामद

न्याय साक्षी/रायगढ़। पिछले कुछ समय से खरसिया के स्कूल चोरों के निशाने पर थे, लगातार स्कूलों में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा एसडीओपी खरसिया एवं थाना प्रभारी खरसिया को निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी खरसिया सुमंतराम साहू द्वारा अपने थाने के स्टाफ एवं मुखबीरों को को मशरूका एवं अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिये सक्रिय किया गया था जिनके द्वारा लगातार चोरी के मामलों में चालान हुये आरोपियों एवं संदेहियों पूछताछ कर धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही थी इसी दरमियान मुखबीर सूचना पर खरसिया स्टाफ द्वारा सुदामा राठिया, श्रवण चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। दोनों पूर्व में भी चोरी के मामलों में चालान हुये थे, संदेहियों ने पूछताछ में अपने साथी अनिल धनुवार, शिवचरण निषाद, भीम राठिया एवं एक अपचारी बालक के साथ पिछले साल रानीसागर के

नरेश यादव के जनरल स्टोर स्टोर में तथा पूर्व माध्यमिक शाला छोटेदेवगांव, प्राथमिक शाला भालूचुआं, प्राथमिक शाला चौढ़ा, ग्राम टेंडा नवापारा थाना घरघोड़ा में चोरी करना बताये। आरोपियों के कब्जे से 01 फिज, 01 लैपटॉप, 05 पंखे, 03 घड़ी, 01 प्रिंटर, 01 सिलेंडर, 01 गैस चूल्हा, 01 स्टेबलाइजर तथा स्कूल से चोरी चाव, खेल सामग्री बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रेडियो आदि करीब ?1,05,000 के जप्त किया गया है। आरोपियों को थाना खरसिया के अप.क्र. 223/18, 271/18, 312/19, 318/19 धारा 457,380 भादंवि एवं इस्त.क्र. 03/19 धारा 41(1+4)/457,380 आईपीसी में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपियों में- 1. सुदामा राठिया पिता बच्चन राम उम्र 20 वर्ष साकिन बांसमुड़ा थाना खरसिया, 2- अनिल धनुवार उर्फ भूथियार पिता बरतू धनुवार उम्र 19 वर्ष निवासी भालूनारा खरसिया, 3- शिवचरण निषाद पिता शंकरलाल निषाद उम्र 25 वर्ष निवासी चोढ़ा थाना खरसिया, 4- श्रवण चौहान पिता नेहरू लाल चौहान उम्र 23 वर्ष निवासी बांसमुड़ा थाना खरसिया, 5- भीम राठिया पिता हरिहर सिंह राठिया उम्र 19 वर्ष निवासी मदनपुर खरसिया एवं एक अपचारी बालक शामिल है।

उपरोक्त मामले का खुलासा करने में थाना प्रभारी निरीक्षक सुमंत राम साहू, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी राठौर, शंकर सिंह क्षत्रिय, मनोज पटेल, आरक्षक प्रदीप तिवारी, राजेश राठौर, किशोर राठौर, अल्केश बेक, मुकेश यादव की सराहनीय भूमिका रही है।

आत्महत्या, पी.एम. रिपोर्ट में निकला हत्या, अज्ञात आपोरी के खिलाफ मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ में दिनांक 21.07.2019 को गोरेलाल यादव पिता करमाहा यादव उम्र 45 वर्ष साकिन उलखर सारंगढ़ द्वारा अपने मंझले भाई के फांसी लगाकर फौत हो जाने के संबंध में मर्ग इंटिमेशन चाक कराया कि ये लोग तीन भाई हैं। तीनों भाई अलग-अलग रहते हैं। मंझला भाई सम्मत यादव पिता करमाहा यादव उम्र 55 वर्ष अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ कबीर मंदिर पास मकान बनाकर रह रहा था, सम्मत यादव शराब सेवन करने का आदि था जो पिछले वर्ष से लकवा ग्रस्त है जिसका ईलाज चल रहा था। लकवा से सम्मत चिड़चिड़ा हो गया था , करीब 15 दिन पूर्व उसके पत्नी एवं बच्चों को मारपीट करने से उसके पत्नी एवं बच्चों को गोरेलाल यादव अपने घर ले आया था, सम्मत यादव अकेला घर में रह रहा था कि दिनांक 21.07.19 के रात्रि करीब 08 बजे सम्मत यादव का लड़का पवन एवं चचेरा भाई पिताम्बर, उसे देखने घर गये तो घर के बरामदे में सम्मत फांसी लगाकर लटका हुआ था, रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 69/19 धारा 174जा.फौ. पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मृतक का पी.एम. शासकीय अस्पताल सारंगढ़ के डाक्टर से कराया गया। पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण हत्या होना लेख किये जाने पर दिनांक 02.08.19 को अज्ञात आरोपी केविरूद्ध अप.क्र. 341/19 धारा 302 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

कमरे में सोई युवती से छेड़खानी, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना बरमकेला में 18 वर्षीय युवती द्वारा गांव के अशोक सिदार के विरुद्ध छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीडिता ने बताया कि दिनांक 02.08.19 की रात खाना खाने बाद अपने कमरा मे सोई थी , माता पिता, भाई, बहन सभी घर परछी मे सोये थे कि दिनांक 03/08/19 के सुबह करीब 03:30 बजे गाँव का अशोक सिदार आकर बेज्जती करने के नियत से हाथ बाह पकड़ने लगा, शोर मचाने पर घर अशोक सिदार घर से भाग गया। युवती के रिपोर्ट पर अप.क्र. 127/19 धारा 354, 456 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

प्राची विहार में चोरी, सोने के जेवरात पार

न्याय साक्षी/रायगढ़। चक्रधरनगर के प्राचीविहार कालोनी क्वार्टर नम्बर 02 में रहने वाला अनुप कुमार मंडल पिता स्व. पी.एस. मंडल उम्र 42 वर्ष, भारत रोड कैरियर टांसपोर्ट कम्पनी रायगढ में काम करता तथा इसकी पत्नी श्रीमति सुनीता मंडल शिक्षाकर्मी है। दिनांक 02.08.2019 को 12:30 बजे अनुप मंडल और उसकी पत्नी घर के मुख्य दरवाजा एवं गेट में ताला बंद कर अपनी-अपनी ड्युटी पर चले गये थे। अनुप मंडल की पत्नी अपने स्कूल माझापारा से करीब 02:00 बजे दिन में लौटी तो देखी की गेट में ताला बन्द था गेट का ताला खोल कर अन्दर गई तो देखी कि मकान का मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था, अन्दर समान बिखरा पड़ा था। बेडरूम के आलमारी में रखा करीब 25,000 रूपये तथा स्वर्ण आभूषण कान का छोटा टाप दो नग, दो नग छोटी छोटी अंगुठी वजन करीब पांच ग्राम आलमारी में नहीं था तब घर में लगा सीसीटीव्ही फुटेज को चेक किये तो देखे कि एक अज्ञात चोर घर के बाऊण्ड्री के दिवाल फांद कर घर के मुख्य दरवाजा का ताला एवं कुन्दा तोड़कर घर के अन्दर घुसकर 01:20 से 01:44 बजे दिन के मध्य नगदी रकम एवं स्वर्ण आभूषण चोरी कर ले गया। चोरी समान एवं पैसा जुमला किमत करीब 40,000 रूपये का है। चोरी के रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 286/19 धारा 454,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यर्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता — इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं 9301915303 है। ... प्रत्येक जिले में ... संघ के द्वारा ... कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां — मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, ...

मुख्य बिन्दु — प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। ...

पीड़ित संपर्क करें — ... है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु — ...

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

ADMISSION OPEN

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ..

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes....
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL ENGLISH MEDIUM BEHIND STADIUM STREET RAIGARH C.G. 07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन "हेडलबर्ग" से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ , छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480